कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

क्रमांकः शिविरा/माध्य/लेखा/डी–2/28012/15 दिनांकः 10.10.2015

उप निदेशक/जिला शिक्षा अधिकारी
माध्यमिक (समस्त)

परिपत्र संख्या : 1

विषयः– वित्तीय वर्ष 2015–16 में राजकीय विद्यालयों के मेधावी विद्यार्थियों को गुणवत्तायुक्त लैपटॉप 14" का वितरण एवं भुगतान के संबंध में दिशा निर्देश।

वर्ष 2015–16 में शैक्षणिक वर्ष 2013–14 एवं 2014–15 में पात्र मेधावी विद्यार्थियों को लैपटॉप उपलब्ध कराये जाने हैं । इस क्रम में लैपटोप क्रय हेतु प्राप्त तकनीकी, वित्तीय प्रस्तावों, निगोशिएशन व फर्म द्वारा प्रस्तुत सहमति स्वीकृति के परीक्षण के पश्चात HP India Sales Pvt. Ltd. एवं ACER India Sales Pvt. Ltd. द्वारा प्रस्तुत न्यूनतम दर रूपये 19900/–प्रति लैपटॉप (कैरी बेग एवं समस्त करों सहित) के क्रय हेतु आदेश सम्बन्धित फर्मों को निविदा प्रलेख की शर्तो, दर स्वीकृति आदेश की शर्तो, सम्पादित अनुबन्ध एंव क्रय आदेश की शर्तों के अनुसार फर्मो को HP India Sales Pvt. Ltd. को 65 %,एवं ACER India Sales Pvt. Ltd. को 35% मात्रा में आपूर्ति की जानी है दिनांक 24.09.2015 को दर स्वीकृति आदेश जारी किया जा चुका है। निविदा प्रलेख की शर्तो के अनुसार निदेशालय द्वारा प्री–डिलीवरी हेतु गठित निरीक्षण कमेटी के निरीक्षण के पश्चात लैपटॉप प्रत्येक जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक प्रथम को फर्म द्वारा आपूर्ति की जायेगी। इस सम्बन्ध में विस्तृत दिशा निर्देश निम्नानुसार है :–

A- लैपटॉप वितरण योजना से लाभान्वित होने हेतु निर्धारित पात्रता के सबंध में दिशा–निर्देश :–

(i) कक्षा 8, 10 व 12 में राजकीय विद्यालयों (संस्कृत विद्यालयों सहित) के शैक्षणिक वर्ष 2013–14 एवं 2014–15 में मेधावी विद्यार्थियों को निःशुल्क लैपटॉप का वितरण किया जाना है। लैपटॉप वितरण हेतु मेधावी विद्यार्थियों का चयन राज्य सरकार द्वारा जारी आदेश क्रमांक पं. 4(8)शिक्षा–1/ लैपटॉप/2012 पार्ट–1 जयपुर दिनांक 27.01.2015 के निर्देशो की पालना में निम्नानुसार किया जाना है।

क्र.स.	कक्षा	राज्य स्तरीय/जिला स्तरीय	प्रतिशत	कुल पात्र विद्यार्थियों की संख्या
01	02	03	04	05
01	कक्षा 8	राज्य स्तरीय वैकल्पिक बोर्ड की परीक्षा में न्यूनतम 75 प्रतिशत अंक प्राप्त करनें वाले विद्यार्थी	75 प्रतिशत न्यूनतम	प्रथम 6000 राज्य स्तरीय योग्यता सूची के अनुसार
02	कक्षा 8	जिला स्तरीय वैकल्पिक बोर्ड की परीक्षा में न्यूनतम 70 प्रतिशत अंक प्राप्त करनें वाले विद्यार्थी	70 प्रतिशत न्यूनतम	प्रथम 100 प्रति जिला स्तर
03	कक्षा 10	राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की परीक्षा में राज्य स्तर की योग्यता सूची में प्राप्त न्यूनतम 75 प्रतिशत अंक प्राप्त करनें वाले विद्यार्थी	75 प्रतिशत न्यूनतम	प्रथम 5975 राज्य स्तरीय योग्यता सूची के अनुसार
04	प्रवेशिका	राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की प्रवेशिका परीक्षा में राज्य स्तर की योग्यता सूची में प्राप्त न्यूनतम 75 प्रतिशत अंक प्राप्त करनें वाले विद्यार्थी	75 प्रतिशत न्यूनतम	प्रथम 25 राज्य स्तरीय योग्यता सूची के अनुसार
05	कक्षा 10	राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की परीक्षा में जिला स्तर की योग्यता सूची में प्राप्त न्यूनतम 70 प्रतिशत अंक प्राप्त करनें वाले विद्यार्थी	70 प्रतिशत न्यूनतम	प्रथम 99 प्रति जिला स्तर
06	प्रवेशिका	राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की प्रवेशिका परीक्षा में जिला स्तर की योग्यता सूची में प्राप्त न्यूनतम 70 प्रतिशत अंक प्राप्त करनें वाले विद्यार्थी	70 प्रतिशत न्यूनतम	प्रथम 01 प्रति जिला स्तर

6	कक्षा 12	राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की परीक्षा में राज्य स्तर की योग्यता सूची में प्राप्त न्यूनतम 75 प्रतिशत अंक प्राप्त करनें वाले विद्यार्थी	75 प्रतिशत न्यूनतम	विज्ञान वर्ग के प्रथम 2316 वाणिज्य वर्ग के प्रथम 864 कला वर्ग के प्रथम 2802 राज्य स्तरीय योग्यता सूची के अनुसार
07	वरिष्ठ उपाध्याय	राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की वरिष्ठ उपाध्याय परीक्षा में राज्य स्तर की योग्यता सूची में प्राप्त न्यूनतम 75 प्रतिशत अंक प्राप्त करनें वाले विद्यार्थी	75 प्रतिशत न्यूनतम	प्रथम 18 राज्य स्तरीय योग्यता सूची के अनुसार
08	कक्षा 12	राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की परीक्षा में जिला स्तर की योग्यता सूची में प्राप्त न्यूनतम 70 प्रतिशत अंक प्राप्त करनें वाले विद्यार्थी	70 प्रतिशत न्यूनतम	विज्ञान वर्ग के प्रथम 38 वाणिज्य वर्ग के प्रथम 14 कला वर्ग के प्रथम 47 प्रति जिला स्तर
09	वरिष्ठ उपाध्याय	राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की वरिष्ठ उपाध्याय परीक्षा में जिला स्तर की योग्यता सूची में प्राप्त न्यूनतम 70 प्रतिशत अंक प्राप्त करनें वाले विद्यार्थी	70 प्रतिशत न्यूनतम	प्रथम 01 प्रति जिला स्तर

(ii) चयन का कार्य पात्रता अनुसार जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक प्रथम द्वारा निम्न प्रकार किया जायेगा : –

(क) राज्य स्तरीय मेरिट के आधार पर चयनित विद्यार्थियों को जिला मेरिट के आधार पर चयनित नही किया जायेगा चूकिं वो राज्य स्तरीय मेरिट से लाभान्वित होगा।

(ख) राज्य स्तरीय मेरिट के आधार पर विद्यार्थियों के चयन पश्चात जिला स्तरीय मेरिट के अनुसार विद्यार्थियो का चयन किया जाना है।

(ग) जिला स्तरीय विद्यार्थियो का चयन राज्य स्तरीय मेरिट में चयनित अंतिम विद्यार्थी के प्रतिशत के पश्चात किया जाना है। प्रत्येक कक्षा की पात्रता सूची शैक्षणिक वर्ष 2013–14 एवं 2014–15 हेतु पृथक–पृथक तैयार करनी है।

B- <u>लैपटॉप कय एवं वितरण :–</u>

1. लैपटॉप कय हेतु जारी निविदा प्रलेख, दर स्वीकृति आदेश, अनुबन्ध व आपूर्ति आदेश संबंधि समस्त अभिलेख विभागीय वेबसाईट **rajshiksha.com** पर उपलब्ध है। अतः समस्त जिला शिक्षा अधिकारी अद्यतन आदेशो का अध्ययन करे तथा लैपटॉप पात्रता, वितरण, समारोह, एवं भुगतान में नियमो की अक्षरशः पालना सुनिश्चित करे।
2. लैपटॉप आपूर्ति हेतु फर्म HP India Sales Pvt. Ltd. एवं ACER India Sales Pvt. Ltd. को दिनांक 24.09.2015 को 65:35 के अनुपात में कुल लैपटॉप 40000 (14") सप्लाई हेतु सहमति पत्र जारी किया जा चुका है। जारी सहमति पत्र की शर्तो के अनुसार आपूर्ति कर्ता फर्म द्वारा लैपटॉप की निर्धारित संख्या निदेशालय द्वारा सूचित संख्या/मेरिट अंक प्रतिशत के अनुसार सम्बन्धित जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक प्रथम को आपूर्ति की जायेगी।
3. जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक, प्रथम एवं जिला शिक्षा अधिकारी प्रारम्भिक शिक्षा लैपटॉप वितरण योजना के संबंधित जिले के नोडल अधिकारी होगें।
4. जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक, प्रथम एवं जिला शिक्षा अधिकारी प्रारम्भिक शिक्षा लैपटॉप वितरण हेतु मेधावी विद्यार्थियो की पात्रता सुनिश्चित कर नामवार पात्रता सूची बिन्दू संख्या A (i) के अनुसार तैयार करेगें एवं यह सूची सम्बन्धित विद्यालय में भी उपलब्ध रहेगी ताकि वितरण के समय इसके अनुरूप विद्यार्थियों से रसीद प्राप्त की जा सके ।
5. जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक प्रथम फर्म द्वारा लैपटॉप आपूर्ति के समय प्रस्तुत की गई डिलीवरी चालान की फोटोप्रति मय हस्ताक्षर निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर को वाहक स्तर पर तीन दिवस में अनिवार्य रूप से भिजवाया जाना सुनिश्चित करेगें। लैपटॉप वितरण के सबंध में प्रत्येक सोमवार को निम्न प्रारूप में प्रगति रिपोर्ट ई–मेल **caosecedu@gmail.com** के माध्यम से प्रस्तुत करेगें।

क्र०सं०	जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक (प्रथम)	फर्म द्वारा आपूर्ति की गई लैपटॉप की कुल संख्या	पात्र विद्यार्थियो की संख्या										वितरित लैपटॉप की संख्या									
			शैक्षणिक सत्र 2013–14					शैक्षणिक सत्र 2014–15					शैक्षणिक सत्र 2013–14					शैक्षणिक सत्र 2014–15				
			8	10	12	प्रवेशिका	व.उ.	8	10	12	प्रवेशिका	व.उ.	8	10	12	प्रवेशिका	व.उ.	8	10	12	प्रवेशिका	व.उ.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23

6. माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर द्वारा घोषित मेरिट में निर्धारित छात्र संख्या की पात्रता के पश्चात समान मेरिट अकं प्राप्त करने वालें विद्यार्थियों की पात्रता सूची कक्षावार/वर्षवार पृथक से तैयार कर जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक प्रथम/जिला शिक्षा अधिकारी प्रारम्भिक निदेशालय को प्रस्तुत करनें की कार्यवाही करें।

7. लैपटॉप प्राप्त कर्त्ता रसीद का प्रारूप :–

विद्यालय का नाम :–...

मेधावी विद्यार्थी का पासपोर्ट साईज फोटो

लैपटॉप प्राप्ति रसीद

छात्र/छात्रा का नाम :– .... पिता का नाम .... जन्म दिनांक.......

वर्तमान में अध्ययनरत कक्षा :–...

राज्य सरकार की निःशुल्क लैपटॉप वितरण योजना अन्तर्गत माननीया मुख्यमंत्री महोदया एवं शिक्षा राज्य मंत्री (स्वतंत्र–प्रभार) राजस्थान के प्रेरणा स्वरूप संदेश (Inbuilt image) सहित आज दिनाकं .... को लैपटॉप निःशुल्क प्राप्त किया । लैपटॉप सामग्री निम्न प्रकार है :–

(i)लैपटॉप (सीरियल नम्बर ....) (ii) पॉवर केबल विद एडोप्टर चार्जर

(iii) यूजर टेक्स बुक (iv) कैरी बैग

मैं लैपटॉप को अध्ययन कार्य के लिए ही उपयोग करूगां/ करूगीं ।

जिला शिक्षा अधिकारी
माध्यमिक प्रथम

हस्ताक्षर प्राप्तकर्ता
नाम छात्र/छात्रा

8 **पहचान पत्र :–**

....

(विद्यालय का नाम)

कमांक दिनांक

छात्र/छात्रा का फोटो संस्था प्रधान द्वारा प्रमाणित मय सील

प्रमाणित किया जाता है कि छात्र/छात्रा..पुत्र/पुत्री............................ .... ने शिक्षा सत्र.................................. में ....(विद्यालय का नाम) से कक्षा. ....राज्य स्तरीय/जिला स्तरीय मेरिट कमांक..प्राप्तांक/पूर्णांक/प्रतिशत अंक...............प्राप्त किये है। ये लैपटॉप प्राप्त करने के अधिकारी है।

नोट :– विद्यार्थी द्वारा कक्षा 8, 10 व 12 की मूल अंक तालिका शैक्षिक संस्थान में प्रवेश/कक्षा........ .... में प्रवेश लेने पर जमा हो चुकी है।

हस्ताक्षर मय सील
सस्था प्रधान

8. प्राप्ति रसीद, पात्रता सूची की एक प्रति सम्बन्धित जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक प्रथम के कार्यालय में रखी जावेगी । रसीद पर यथा स्थान पासपोर्ट साईज का फोटो आवश्यक रूप से लगावें।

9. लैपटॉप प्राप्ति के पश्चात वितरण तक प्रभावी सुरक्षा जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक प्रथम द्वारा सुनिश्चित की जावेगी इस हेतु लिखित में जिला पुलिस अधीक्षक एवं जिला कलेक्टर को भी जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा निवेदन किया जावेगा । इस हेतु चुनाव कार्य की भांति समुचित प्रबन्ध किया जावेगा ।

10. कक्षा 8 के किसी भी Drop out विद्यार्थी को लैपटॉप देय नही है।

11. जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक प्रथम लैपटॉप प्राप्ति के समय फर्म द्वारा पैक लैपटॉप बॉक्स को खोले बिना ही सुरक्षित स्थान पर रखवाने है । लैपटॉप वितरण समारोह के अवसर पर केवल 5 लैपटॉप ही बॉक्स से बाहर निकालकर मंच पर विद्यार्थियों को वितरण करवाना है तथा शेष लैपटॉप बिना खोले ही कैरी बैग पैक सहित विद्यार्थियों को वितरित किया जाना है चूंकि प्री–डिलीवरी निरीक्षण निदेशालय द्वारा गठित कमेटी द्वारा इनकी जांच के पश्चात पैकिंग करवाई जावेगी। संदेह होने पर खोला जा सकेगा। वितरण समारोह में आपूर्तिकर्त्ता फर्म का प्रतिनिधि/जिला स्तर पर कार्यरत एनआईसी का प्रतिनिधि भी उपलब्ध रहेगा।

12. पात्र छात्र/छात्राओं को जिला शिक्षा के द्वारा संम्बन्धित शाला प्रधान के माध्यम से उचित अन्तराल से पूर्व ही सूचित करेगें । समारोह के दौरान उपस्थित नही हुए विद्यार्थियो को लैपटॉप जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक प्रथम द्वारा प्रत्येक कार्य दिवस पर अपने कार्यालय स्तर का वितरण किया जावेगा ।

13. जिला स्तर पर समारोह आयेजन जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक प्रथम द्वारा करवाया जाना है जिला स्तरीय समारोह के आयोजन पर अधिकतम 50000/– रूपये व्यय किये जा सकेगें। इस राशि का 50 प्रतिशत राजस्थान प्रारम्भिंक शिक्षा परिषद व 50 प्रतिशत राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा देय होगा। समारोह स्थल का निर्णय जिला स्तरीय समिति द्वारा किया जायेगा।

14. राज्य सरकार द्वारा जिला स्तर पर लैपटॉप वितरण हेतु निम्नांकित कमेटी का गठन किया गया है :–

01	जिला कलक्टर	अध्यक्ष
02	जिला कलक्टर द्वारा मनोनीत एक प्रशासनिक अधिकारी (अतिरिक्त जिला कलक्टर/मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद से नीचे के स्तर का न हो)	सदस्य
03	जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक प्रथम)	सदस्य
04	जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक द्वितीय)	सदस्य
05	जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारम्भिक)	सदस्य
06	अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक, माध्यमिक शिक्षा अभियान	सदस्य
07	अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक सर्व शिक्षा अभियान	सदस्य
08	अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक–प्रथम)	सदस्य सचिव

C- भुगतान सम्बन्धी दिशा–निर्देश :–

1 जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक प्रथम द्वारा फर्म को डिलीवरी चालान पर आपूर्ति के समय लैपटॉप प्राप्त करने की रसीद आपूर्तिकर्त्ता फर्म को जारी करना अनिवार्य है।

2 लैपटॉप की आदेशित संख्या के अनुसार आपूर्ति के पश्चात ही फर्म का बिल भुगतान हेतु स्वीकार किया जायेगा।

3 निदेशालय द्वारा जारी भुगतान स्वीकृति आदेशों की पालना के पश्चात ही शत प्रतिशत आपूर्ति करने के पश्चात ही फर्म को भुगतान करनें की कार्यवाही की जावें। फर्म को अनुबन्ध/निविदा की शर्तो के अनुसार कोई भी रनिंग/अन्तरिम भुगतान देय नही होगा।

4 जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक प्रथम द्वारा प्राप्त लैपटॉप की निविदा प्रलेख के अनुसुची दो के अनुसार प्राप्त होने पर कार्यालय की भण्डार पंजिका में प्रविष्टि अंकित करेंगें।

5 फर्म को भुगतान कोष कार्यालय द्वारा ई.सी.एस. के माध्यम से किया जायेगा।

6 फर्म द्वारा प्रस्तुत बिल मे से नियमानुसार समस्त वैधानिक कटौतियों (आयकर/राजस्थान वैट कर राशि/शास्ति वसूली) के पश्चात ही भुगतान की कार्यवाही करे तथा फर्म को आयकर/वैट कटौती प्रमाण पत्र जारी करनें की कार्यवाही करें।

7 लैपटॉप आपूर्ति के सम्बन्ध में फर्म को भुगतान की गयी राशि का पूरा विवरण (बिल संख्या, दिनांक व ई.सी.एस.) प्रतिमाह की दिनांक 10 को अनिवार्य रूप से ई–मेल व स्पीड पोस्ट के माध्यम से प्रस्तुत करे।

समस्त जिला शिक्षा अधिकारी, लेखाधिकारी/सहायक लेखाधिकारी प्रथम/द्वितीय उपरोक्त दिशा–निर्देशों की अक्षरशः पालना सुनिश्चित करें। समस्त लैपटॉप आपूर्ति/वितरण अभिलेख विभागीय वेबसाईट rajshiksha.com पर उपलब्ध है।

10/10

निदेशक
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर

क्रमांकः शिविरा/माध्य/लेखा/डी–2/28012/15 दिनांकः

प्रतिलिपि :–सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रस्तुत/प्रेषित है।

1 शासन सचिव माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2 शासन सचिव प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान जयपुर।
3 सचिव सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग राजस्थान जयपुर।
4 निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर को प्रेषित कर लेख है कि कक्षा 8 के वैकल्पिक बोर्ड के उत्तीर्ण राजकीय विद्यालयों के पात्र विद्यार्थियो की सूची, पहचान पत्र तैयार करनें हेतु समस्त जिला शिक्षा अधिकारी प्रारम्भिक को निर्देशित करें तथा राज्य सरकार द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार पात्र विद्यार्थियो की सूची व पहचान पत्र जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक प्रथम को निर्धारित समय में उपलब्ध करवाने की कार्यवाही करे एवं विद्यालय संस्था प्रधान के पास संरक्षित करावें ।
5 उपनिदेशक माध्यमिक शिक्षा (समस्त) को निर्देशित किया जाता है कि लैपटॉप वितरण की प्रभारी मॉनिटरिंग सुनिश्चित करे तथा प्रत्येक सोमवार को प्रगति रिपोर्ट ई–मेल **caosecedu@gmail.com** पर भेजनें की कार्यवाही करें।
6 जिला शिक्षा अधिकारी प्रथम माध्यमिक शिक्षा को निर्देशित किया जाता है कि जारी दिशा निर्देशो की पालना में समारोह में वितरण हेतु उचित संख्या में प्रभारी अधिकारी नियुक्त करें ताकि समारोह में व्यवस्थित रूप से लेपटॉप वितरित होकर प्राप्ति रसीद प्राप्त की जा सके ।
7 लेखाधिकारी/सहायक लेखाधिकारी प्रथम/द्वितीय जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक शिक्षा प्रथम को निर्देशित किया जाता है कि भुगतान संबंधित सम्पूर्ण कार्यवाही जारी निर्देशो/निविदा की शर्तो के अनुसार ही किया जावें।
8 संबंधित जिला कोषाधिकारी को इसीएस भुगतान बाबत ।
9 लेखाधिकारी बजट कार्यालय हाजा को निर्देशित किया जाता है कि जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक प्रथम लैपटॉप आपूर्ति हेतु भुगतान का बजट आंबटन लेखा डी–2 की भुगतान स्वीकृति के आदेश अनुसार जारी करें ।
10 अनुभाग अधिकारी आई.सी.पी को निर्देशित किया जाता है कि निःशुल्क लैपटॉप वितरण संबंधी टिप्पणी आंतरिक जांच दल प्रभारी द्वारा अपने ऑडिट रिपोर्ट में अनिवार्य रूप से लेवे।

10/10

निदेशक
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर